

सामूहिक सुरक्षा: एक अध्ययन

Sudhir Kumar

MA in Political Science (UGC NET) IGNOU

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 13 March 2019

Keywords

एक सबके लिए, विदेश नीति, राजनय, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ, परमाणु परीक्षण।

ABSTRACT

सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रबन्ध का आधुनिक साधन है। सामूहिक सुरक्षा को कभी-कभी शान्ति के भवन के स्तम्भ का आधार कहा जाता है। वास्तव में सामूहिक सुरक्षा "एक सबके लिए" सब एक के लिए का सैद्धान्तिक रूप है।

"सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त के अनुसार सभी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को सारे विश्व व्यवस्था की सुरक्षा के साथ इस तरह मिला दें कि कहीं भी, किसी भी राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खतरे को समाप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें।"

शोध प्रविधि :-

इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए आंकड़े/तथ्य द्वितीयक स्रोतों से जुटाए गए हैं। इस शोध पत्र में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तर्क प्रस्तुत किए हैं जो शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा ज्ञान से प्राप्त किए हैं। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

"यह राज्यों के बीच एक पारस्परिक आवश्यक समझौता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा की गारण्टी देता है और शायद इसी गारण्टी की वजह से दूसरे राष्ट्रों द्वारा किये वायदों द्वारा उसे अपनी सुरक्षा की गारण्टी मिलती है।"

अर्थात् "सामूहिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी राष्ट्र एक अस्पष्ट बंधन में बँधे होते हैं जिसके अन्तर्गत किसी राज्य द्वारा अस्मात् की गयी किसी कार्यवाही के लिए व उचित उत्तर देने के लिय वचनबद्ध होते हैं।"

अर्थात् "सामूहिक सुरक्षा युद्ध को शुरू होने से रोकने या अगर ऐसा न हो सके तो युद्ध के शिकार की सुरक्षा करना जैसा महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है।"

सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं

सामूहिक सुरक्षा के विभिन्न पक्षों को देखने पर इसमें निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं-

- सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबन्ध का साधन है।
- सामूहिक सुरक्षा इस बात पर बल देती है कि अतिक्रमण संदेव होते रहते हैं।
- सामूहिक सुरक्षा स्पष्ट करती है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिन्न अंग है।

- सामूहिक सुरक्षा शक्ति आधिपत्य की समर्थक है।
- सामूहिक सुरक्षा शक्ति एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व को आवश्यक मानती है।
- सामूहिक सुरक्षा एक मध्य स्तर की व्यवस्था है।
- सामूहिक सुरक्षा निवारक व्यवस्था है।
- सामूहिक सुरक्षा का शत्रु राज्य नहीं, बल्कि युद्ध अथवा आक्रमण है।

शान्ति और सुरक्षा का प्रश्न विश्व के सभी राष्ट्रों से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। परन्तु कोई भी राष्ट्र अकेला किसी शक्तिशाली राष्ट्र के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकता इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सारे राष्ट्र अन्य देश की सुरक्षा की चिन्ता सामूहिक रूप से करते हैं, जैसे मानो स्वयं उन सबको अपनी -सुरक्षा को खतरा हो। यदि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को संकट में डालने का प्रयत्न करता है तो संकट में पड़े राष्ट्र की ओर से बाकी राष्ट्र सामूहिक कार्यवाही करेंगे। इसी आधार पर होगन ने सामूहिक सुरक्षा के सन्दर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने तथा क्रियान्वित करने के लिए सामान्य पारस्परिक सहयोगिक कार्य है।

सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ दोनों ही विश्व शान्ति संगठनों में विद्यमान रही है। सच कहीए तो सामूहिक सुरक्षा शान्ति के एक प्रमुख मार्ग के रूप में राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघका मुख्य विषय रही है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंघ में ही पहली बार सामूहिक सुरक्षा का विचार व्यवहारिक अर्थ में स्वीकार किया गया। एक बार स्वीकार हो जाने के बाद इस विचार को उन प्रयत्नों द्वारा कारगर बनाने की कोशिश की गयी जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

की व्यवस्था सुधारने के लिए दोनों युद्धों के बीच के काल में किये गये।

राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा

राष्ट्रीयसंघ के प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद 10 में सभी सदस्य राष्ट्रों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लोग सब सदस्यों की क्षेत्रीय एकता तथा वर्तमान रानीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करेंगे तथा बाह्य आक्रमण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेंगे। इसे और स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि युद्ध अथवा युद्ध की धमकी से चाहे उसका प्रभाव राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य पर तत्काल पड़ता हो अथवा नहीं राष्ट्रसंघ से यह अपेक्षा की गई थी कि वह राज्यों की शान्ति सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त तथा प्रभावपूर्ण कार्यवाही करें। अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि सराष्ट्रसंघ का कोई सदस्य यदि इसके प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद की अवहेलना करके युद्ध मार्ग अपनाता है तो उसे स्वतः राष्ट्रसंघ के सब अन्य सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जाएगा।

यद्यपि अनेक कारणों से राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध को रोक सकने में सफल सिद्ध नहीं हुआ फिर भी सामूहिक सुरक्षा के सन्दर्भ में तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रान्ति को जन्म दिया, जिसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। यह दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि सामूहिक सुरक्षा की अग्रणीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने राष्ट्र संघ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कारगर व्यवस्था पेश की है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ और सामूहिक सुरक्षा यह नितान्त सत्य है कि सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी स्पष्ट कहा गया है कि हम स्त्री और पुरुष, छोटे बड़े की समानता में विश्वास रखते हुए मानव व्यक्तित्व के मूल्य और प्रतिष्ठा के अधिकारों में पूर्ण आस्था प्रकट करते हैं। और प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्व शान्ति के लिए अच्छे पड़ोसियों के समान रहेंगे, सामूहिक हित के अतिरिक्त कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे और मानव जाति की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति का दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया है।

चार्टर के अनुच्छेद 7 में शान्ति के लिए धमकी अथवा शान्ति भंग का निर्णय लेने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा स्थापित करने के लिए किन उपायों का अवलम्बन लिया जाएगा। अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग देने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा

परिषद के पास उसके मार्गें जाने पर तथा विशिष्ट संविदा अथवा संविदाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यक सैन्य बल, सहायता तथा सुविधायें प्राप्त करायेंगे जिनमें आने-जाने का अधिकार भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 51 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण हो तो चार्टर में निहित वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में तब तक कमी नहीं होगी जब तक सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक उपाय न कर लें।

इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 1970 में शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव के पारित हो जाने से महासभा की शक्ति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। महासभा अपने दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को उत्पन्न संकट, शान्ति भंग अथवा किसी आक्रमणात्मक कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। पामर व पर्किन्स के शब्दों में "शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में प्रगति का एक महान चिन्ह था।" शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव एक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में प्रगति का एक महान चिन्ह था।"

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कोरिया, स्वेज नहर तथा कांगो संकट के समय सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त कर सर्वनाश की सम्भावना का समाप्त किया है, कि किन्तु अपने-अपने हितों के प्रश्न पर दोनों महासक्तियों में मतभेद होने के कारण सामूहिक सुरक्षा के क्रियापयन में अनेक अवसरों पर काफी अवरोध भी उत्पन्न हुए हैं। सामूहिक सुरक्षा तो यह चाहती है कि राष्ट्र अपना राष्ट्रीय अहंकार दें तथा शान्ति के हित के लिए संदेव तत्पर रहें। किन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ हर पल विश्व में महाशक्तियों के इशारे पर पर्दे के बाहर शान्ति के लिए रट लगायी जाती हो तथा पर्दे के पीछे शान्तिप्रिय देशों में योजना बनाकर अपने इशारे पर चलने वाली सरकार बनाने का षड्यन्त्र रचा जाता हो, सामूहिक सुरक्षा की सफलता की सम्भावनाएं उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही हैं।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति-सन्तुलन अधिकांश विद्वानों का मत है कि शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्तों पर ही सामूहिक सुरक्षा अवलम्बित है। कभी-कभी तो यहाँ तक कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का झुकाव शक्ति-सन्तुलन को सामूहिक सुरक्षा की ओर परिवर्तित कर देने की दिशा में है और यह निरन्तर इस परिप्रेक्ष्य में प्रयत्नशील है।

आज शक्ति सन्तुलन के बारे में तरह-तरह की दलीलें दी जाती हैं तथा अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग इसकी उपयोगिता मानते हैं तो कुछ लोग इसकी उपयोगिता मानने को तैयार नहीं हैं। यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र की हर अन्य राष्ट्र के साथ कुछ क्षेत्रों में शत्रुता होती है। इस स्थिति के कारण धीरे-धीरे प्रायः सर्वत्र बहुपक्षीय सन्धियों के बजाय द्विपक्षीय मैत्री सन्धियों का जन्म हो रहा है। इसी आधार पर मैलविन स्माल और डेविड सिंगर ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि परमाणु युग में शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की पूरी तरह परीक्षा करने की आवश्यकता है। हम यह मानते हैं कि शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त शान्ति स्थापित करने के साथ सामूहिक सुरक्षा का मार्ग-प्रशस्त करने में सहायक हो सकता है किन्तु इसकी सफलता के लिए दो शर्तें हैं—पहला आज के परमाणु युग में शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त तालमेल बैठाने में सही नहीं बैठ रहा है। अतः यह आवश्यक है कि इसके लिए कार्य करने की अवस्थाएं नई हों। दूसरी शर्त यह है कि यदि ऐसा संभव नहीं है तो इसके विकल्प की तलाश की जाए।

सामूहिक सुरक्षा का मूल्यांकन

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा इसकी अवधारणात्मक सीमाओं का सारांश बताते हुए वी.वी. डार्डक ने कहा है—“यदि सामूहिक सुरक्षा कायम हो भी जाए तो भी जाए तो भी इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही शक्ति तथा अपनी सन्धियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ एक शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था भी चलती है।”

बहुत से आलोचक सामूहिक सुरक्षा को सामूहिक असुरक्षा मानते हैं। क्योंकि यह एक साधारण स्थानीय युद्ध में बदल सकती है।

वाल्टर लिपमैन के अनुसार : अर्थात् “व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त सामूहिक नहीं है तथा सुरक्षा प्रदान नहीं करता।” ध्यान रखना होगा कि सामूहिक सुरक्षा के अभाव में समस्त राष्ट्रव्यक्तिगत प्रतिरक्षा के प्रति अत्यन्त संवेदनशील हो जाते हैं। परिणामतः वे अपनी सुरक्षा हेतु दूसरों की सुरक्षा को संकट में डालते हैं व प्रत्येक बार सुरक्षा की खोज करते हुए उन परिस्थितियों को उत्पन्न कर लेते हैं जिनमें उनकी निजि सुरक्षा भी संकट में पड़ जाती है। जिनमें उनकी निजि सुरक्षा भी संकट में पड़ जाती है। सामूहिक सुरक्षा यह आश्वासन उत्पन्न करती है कि प्रत्येक सम्भावित आक्रान्ता के विरोध हेतु आवश्यक शक्ति से अधिक शक्ति सदैव उपलब्ध रहेगी।

प्रारम्भ में सामूहिक सुरक्षा की कल्पना युद्ध के परिप्रेक्ष्य में की गयी थी लेकिन अब युद्ध की प्रकृति और स्वरूप दोनों बदल गये हैं। परमाणु, रासायनिक और अंतरिक्ष युद्ध के खतरे ने समस्याओं के नये आयाम पैदा किये हैं जिससे मौजूदा परिवेश में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त अपनी चमक खोता जा रहा है तथा प्रासंगिक भी नहीं रह गया है। जैसा कि विदित है कि किसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के पूर्व ही इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आक्रमण का शिकार राष्ट्र पूरी तरह तहस-नहस हो जाए क्योंकि आज हजारों मंगाटन क्षमता के परमाणु हथियार दुनिया के शस्त्रागारों में इस्तेमाल के इंतजार में हैं जो चंद्रमिनों में ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुँचकर विनाश का अकल्पनीय ताण्डव मचा सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा निःसन्देह एक क्रान्ति का सूचक है किन्तु इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध अनिवार्य है और युद्ध का श्री गणेश होने पर सामूहिक प्रयास से बल प्रयोग द्वारा शांति कायम की जानी चाहिए।

युद्ध के द्वारा जो शांति स्थापित होती है वह स्थायी नहीं होती और ऐसी शांति में युद्ध के बीच विद्यमान रहते हैं जो आगे चलकर एक और युद्ध को जन्म देते हैं अतः सामूहिक सुरक्षा से शांति स्थापना की कल्पना पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो सिद्ध करता है कि सामूहिक सुरक्षा विश्व शांति को जीवन और दर्शन देने में सक्षम नहीं है। आई.एल. क्लाड ने ठीक कहा है कि वर्तमान परिवेश में सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति का सही उत्तर नहीं है।

सन्दर्भ सूची :

- 1 आर.एस. पाण्डेय, भारत के लिए हिन्द महासागर की सामरिक चुनौतियाँ— एक मूल्यांकन, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, मई 2007, पृ० 18.
- 2 वही, पृ० 1808—09..
- 3 आर. एस यादव भारत की विदेशनीति : एक विश्लेषण, किताब महल, इलाहाबाद, 2002, पृ 75.
- 4 आर.एस. पाण्डेय, भारत के लिए हिन्द महासागर की सामरिक चुनौतियाँ— एक मूल्यांकन, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, मई 2007, पृ० 22.
- 5 दीपक कोहली, जैविक हथियारों की घातकता एवं निवारण, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, जून 2008, पृ० 220.
- 6 पी.एस. जयरामू, इण्डियाज नेशनल सिक्योरिटी एण्ड फॉरेन पॉलिसी, पूर्वोद्धृत पृ० 90.
- 7 दीपक कोहली, जैविक हथियारों की घातकता एवं निवारण, प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, जून 2008, पृ० 77.
- 8 पी.एस. जयरामू, इण्डियाज नेशनल सिक्योरिटी एण्ड फॉरेन पॉलिसी, पूर्वोद्धृत, पृ० 56.